(11)

न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 144/2008 दायर दिनांक 12.08.2008

सुरेश कुमार पुत्र नाथूराम जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

वादी

बनाम

1. शिशपाल पुत्र नाथूराम जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री विधाधर सिंह जाखड़
वकील प्रति॰ :– श्री चन्द्रकांत शर्मा

दावा– बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज॰काश्त॰अधि॰
प्रार्थना पत्रः ऐतराज विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाने
निर्णय

दिनांक : 30–05–2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– उपरोक्त उनवानी प्रकरण में दिनांक 24.06.2016 को निर्णय पारित किया गया था जिमसें न्यायालय द्वारा तहसीलदार नवलगढ को मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश किया गया उसमें तहसीलदार ने पटवारी हल्का टोंकछीलरी को नियुक्त कर मौका कमीशनर के लिए भेजा उसमें पटवारी ने मौका रिपोर्ट की जिमसें खसरा नम्बर 930 में शामलाती मकान है जिसमें 1/2 सुरेश कुमार व 1/2 शिशपाल है, परन्तु पटवारी ने शामलाती मकान को शिशपाल के हिस्से में दिखाया है जो कि गलत है मोके मुआवना के दौरान वादी को कोई सूचना नही दी गई उक्त खसरा नम्बर का पहले भी मौका रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 02.04.2009 को तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें मकानो को 1/2 सुरेश कुमार व 1/2 शिशपाल का हिस्सा दिखाया गया है वह नक्शा बनाया गया है वो सही मौका रिपोर्ट पेश की गई थी इसलिए उक्त रिपोर्ट को निरस्त फरमाई जावे। तथा मौका कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ से दुबारा मंगवाने की आदेश फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी (प्रतिवादीगण) ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का विरोध प्रकट किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा मोके पर काश्त व काबिज के अनुसार बराबर बराबर रकबे का विभाजन प्रस्ताव पेश किया है जो सही किया गया है तथा दोनो पक्षो के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। खसरा नम्बर 930 मं कोई शामलाती मकान स्थित नही है तथा मकानों बाबत कार्यवाही न्यायालय को करने का कोई अधिकार नही है। मकानो बाबत अगर वादी को कोई ऐतराज है तो वह सिविल न्यायालय में कार्यवाही के करने लिए स्वतंत्र है। पटवारी हल्का द्वारा मौके कि जो स्थिति है उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है उक्त ऐतराज ना तो विधि के अनुसार है और ना ही ऐतराज करने का कोई कानूनी हक [illegible] प्राथमिक डिक्री में मकानों बाबत कोई आदेश पारित नही किया गया है। इसलिए ऐतराज [illegible] है प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। अतः ऐतराज प्रार्थना पत्र मय हर्जा [illegible] के दौरान वकील प्रार्थी ने

जवाब देही पेश होने पर बहस वकील [illegible] तहसीलदार ने पटवारी हल्का प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन [illegible] [illegible]री ने मौका रिपोर्ट में खसरा [illegible] टोंकछीलरी को नियुक्त कर मौका कमीशनर के लिए भेजा उसमें [illegible] 930 में शामलाती मकान है जिसमें 1/2 सुरेश कुमार व 1/2 शिशपाल है, परन्तु पटवारी ने शा[illegible] मकान को शिशपाल के हिस्से में दिखाया है जो कि गलत है मोके मुआवना के दौरान वादी को कोई सूचना नही दी गई उक्त खसरा नम्बर का पहले भी मौका रिपोर्ट दिनांक 02.04.2009 को तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें मकानो को 1/2 सुरेश कुमार व 1/2 शिशपाल का हिस्सा दिखाया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ

वह नक्शा बनाया गया है वो सही मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। विभाजन प्रस्ताव को निरस्त कर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जावे।

जवाब बहस में वकील अप्रार्थी (प्रतिवादीगण) ने बहस का विरोध करते हुये जवाब के बिन्दुओ की पुनरावृति की गई तथा कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा मोके पर काश्त व काबिज के अनुसार बराबर बराबर रकबे का विभाजन प्रस्ताव पेश किया है जों सही किया गया है तथा दोनो पक्षो के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। खसरा नम्बर 930 मं कोई शामलाती मकान स्थित नही है तथा मकानों बाबत कार्यवाही न्यायालय को करने का कोई अधिकार नही है। मकानो बाबत अगर वादी को कोई ऐतराज है तो वह सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने लिए स्वतंत्र है। पटवारी हल्का द्वारा मौके कि जो स्थिति है उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है उक्त ऐतराज ना तो विधि के अनुसार है और ना ही ऐतराज करने का कोई कानूनी हक अधिकार है ना ही न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में मकानों बाबत कोई आदेश पारित नही किया गया है। इसलिए ऐतराज मैन्टेनेबल नही है प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है।

पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस वकील उभय पक्ष का मनन किया गया। तथा पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार शामलाती दर्ज है। वादीगण ने ऐतराज विभाजन प्रस्ताव में मुख्यतः उज्र उठाया है कि विभाजन प्रस्ताव मौके पर तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार नही किया गया तथा खसरा नम्बर 930 में बने मकान में 1/2 हिस्सा सुरेश व 1/2 हिस्सा शिशपाल का नही किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो नियम विरूद्ध है, इस संबंध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने पर सभी पक्षकारो को सूचना जारी कर ही तैयार किया गया है, तथा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुशरण में तैयार किया हुआ है। पक्षकारान के कब्जा काश्त अुनसार ही विभाजन प्रस्ताव बनाया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा तैयार कर विभाजन पर पक्षकारान व गांव के मौतविरान के हस्ताक्षर करवाये गये है। जहां तक न्यायालय का मत है वर्णित विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र मे तैयार किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव समस्त पक्षकारो को सूचना प्रेषित कर तैयार किया हुआ है जिस पर पक्षकारों के हस्ताक्षर भी होना अंकित है विभाजन प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत ऐतराज विभाजन प्रस्ताव पोषणीय प्रतीत नही होती है। फलस्वरूप वादी की प्रार्थना पत्र ऐतराज विभाजन प्रस्ताव व आपति खारिज की जाती है तथा तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2014/2083 दिनांक 20.07.2016 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा के खसरा नम्बर 930 रकबा 1.27 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 930/1 रकबा 0.63 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का शिशपाल पुत्र नाथूराम जाति माली निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 930/2 रकबा 0.63 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, बजंड प्रथम का सुरेश कुमार पुत्र नाथूराम जाति माली निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 930/3 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम शिशपाल हिस्सा 1/2 सुरेश कुमार हिस्सा 1/2 पिता नाथूराम जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबि[illegible] राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम [illegible] के अनुरूप [illegible] संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्ष [illegible] नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु [illegible] सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आ[illegible] दिनांक 30–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

(13)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम डिक्री

मुकदमा सं0:– 144 / 2008 **(सुरेश कुमार – बनाम – शीशपाल वगैरह)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर (आर. ए. एस.)**,सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **30.05.2022** निर्णय अनुसार राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा के खसरा नम्बर 930 रकबा 1.27 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 930/1 रकबा 0.63 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का शिशपाल पुत्र नाथूराम जाति माली निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 930/2 रकबा 0.63 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, बजंड प्रथम का सुरेश कुमार पुत्र नाथूराम जाति माली निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 930/3 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम शिशपाल हिस्सा 1/2 सुरेश कुमार हिस्सा 1/2 पिता नाथूराम जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन............–................ मुबलिग............–.............बाबत......–............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे। बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30–05–2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर (R.A.S.)

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)

नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ0) नवलगढ जिला झुन्झुनू

(५५)

क्रमांक-भू.अ0/2014/ 2083 दिनांक 20/7/18

Recd 20/7/16

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

नवलगढ

विषय:-राजस्व वाद सं. 144/8 उनवान सुरेश कुमार बनाम सिरीयाल

निवासी गिरधरपुरा निर्णय दिनांक 24/6/18

प्रसंग:-आपका पत्रांक /राजस्व/2014/ 431 दिनांक 30/6/18

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के कम में निवेदन है कि मु0न0 144/8 उनवान सुरेश कुमार बनाम सिरीयाल निवासी गिरधरपुरा तहसील नवलगढ का निर्णय व प्राथमिक डिक्री के मुताबिक पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर पालना सेवामें सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नवलगढ
(झुन्झुनू)

संलग्न उक्तानुसार

सेवामें,

श्रीमान तहसीलदार साहब,
नवलगढ़

(५८)

विषय :- प्राथमिक डिक्री की पालना के क्रम में

प्रसंग :- राजस्व वाद संख्या 144/2008 निर्णय दिनांक 24-6-2016 सुरेशकुमार पुत्र नाथूराम बनाम भीमपाल पुत्र नाथूराम जाति माली निवासी गिरधरपुरा सांगपुरा

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि राजस्व वाद संख्या 144/2008 निर्णय दिनांक 24-6-16 की पालना में राजस्व ग्राम गिरधरपुरा सांगपुरा के खसरा 930 रकबा 1.27 हैक्ट. की खातेदारी भीमपाल सुरेशकुमार पुत्र नाथूराम जाति माली निवासी उपयुक्त वादी के नाम दर्ज है। मुताबिक कब्जा काश्त के विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से तैयार किया गया।

क्र.स.	काश्तकार का नाम मय वल्दीयत	खसरा	रकबा	भूमि किस्म
(1)	भीमपाल पुत्र नाथूराम जाति माली साकिन खातेदार	930/1	0.63	बारानी
(2)	सुरेश कुमार पुत्र नाथूराम जाति माली साकिन खातेदार	930/2	0.63	बारानी .50 गैर मु. 0.13
(3)	भीमपाल 1/2 सुरेश कुमार 1/2 पिता नाथूराम जाति माली खातेदार खातेदार	930/3	0.01	बारानी

श्रीमान मुताबिक कब्जा काश्त के विभाजन प्रस्ताव बनाकर श्रीमान की सेवा में सादर पेश है।

पटवारी हल्का
15-7-16

राधेश्याम

तहसीलदार नवलगढ़
(झुन्झुनू)

शीशराम

भीमपाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम - गिरधरपुरा मादड़ा
तहसील - मनलगार
जिला - उदर

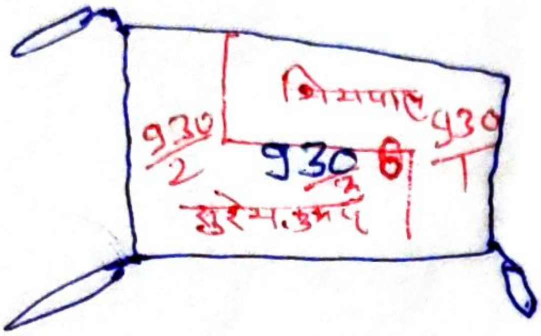

[illegible] कार्य हेतु [illegible]
[illegible]
पटवारी [illegible]
15.7.16

[illegible]

राधेश्याम

शंकरलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested